



Souvenir

International Seminar on State Politics and Public Administration in UP

02 - 03 June, 2016

Organised by:

Centre for Study of State Governments & Public Administration

Department of Political Science

Banaras Hindu University

Varanasi-221005 (India)

Politics-Administration Interface

Mr. Pramod Ranjan, Assistant Professor, School of Law, Guru Ghasidas Central University. Bilaspur, Chhatisgarh, India.

In India, before the formation of the federation the States were not 'sovereign' entities. Our Constitution is one of the very few that has gone into details regarding the relationship between the Union and the States. A total no. of 56 Articles from Article 245 to 300 in Part XI and XII are devoted to the State-Centre relations. Part XI (Articles 245-263) contains the legislative and administrative relations and Part XII (Articles 246-300) the financial relations. By going into great details of the relations, the Constitution framers hope to minimize the conflicts between the centre and the states. By and large, the confrontations between the two have been minimal.

Besides the person serving under the Union and the States, there are certain services which are 'common to the Union and the States'. There are called 'All-India Services' of which the Indian Administrative service and the Indian Police Service are the existing examples [Article 312 (2)].

उ.प्र. राज्य की राजनीति और लोक प्रशासन का वर्तमान स्परूप

डॉ.नीतू सिंह तोमर एम.ए., पी-एच.डी. समाजशास्त्र, पोस्ट डॉक्टोरल फॅलो, यू.जी.सी. दिल्ली.

उ.प्र. राज्य संघ के संविधान से शासित है। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख संघटक-राज्यपाल, मन्त्रिपरिषद, विधानपरिषद, विधानसभा है। राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद है। राज्य की कार्यपालिका के सभी अधिकार राज्यपाल में निहित हैं।

द्विसदनात्मक राज्य विधानमण्डल में राज्यपाल के अतिरिक्त दो सदन-विधानपरिषद व विधानसभा है। राज्य में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय कांग्रेस, यूनाइटेड जनता दल, लोक शक्ति पार्टी आदि राजनीतिक दल हैं।

उ.प्र. के पूर्व राज्यपाल बी.एल.जोशी द्वारा वर्ष 2012 में स.पा.के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश की मुख्यमन्त्री पद पर तथा मुख्यमन्त्री की सलाह पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति हुई जिनमें अखिलेश के चाचा शिवपाल व रामगोपाल सहित अनेक आपसी हितबद्ध व अतिखूंखार शामिल हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, राज्यपाल-रामनाइक को उनके कार्यों में सहायता करती है और सलाह देती है।

आज प्रदेश के अधिकांश संस्थाओं एवं सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक स्तर के कर्मचारी—अधिकारी जनता के हितों की जबरदस्त उपेक्षा कर अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। किसी भी सरकारी कार्य के लिए कमीशन—रिश्वत के रेट बंधे हुए हैं। जिनकी अग्रिम वसूली बिना कोई भी कार्य आदेश—कार्यवाही संभव नहीं है। रेकेट्स एवं दलालों के दहशतपूर्ण जनविरोधी कार्य प्रदेश में खुलेआम जारी है।

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामूहिक चुनाव के माध्यम से सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होने के बावजूद आज साधारणजनों के स्थान पर विशिष्ठजन व स्वार्थी—अपराधी मनमाने ढंग से पदासीन हो रहे हैं। यह सामूहिक चुनावों में जनता के बीच लोक—लुभावने सपने दिखाकर धन—वैभव के प्रचार—प्रसार से जनता के बीच वाह—वाही लूटकर सगे—सम्बंधी आपसी हितबद्ध लोगों सहित स्वयं को संवैधानिक पदों पर आसीन करने में सफल हो रहे हैं तथा सामान्यजनों को प्रतिनिधित्व से बंचित करने के उद्देश्य से ऊँची शुल्क एवं जटिल प्रक्रिया बनाकर गरीबों को चुनाव लडने से बंचित किया जा रहा है।